अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति (सीटू)

पत्रिका

जनवरी 2007 | केवल सदस्यों के लिए | मूल्य 3 रुपये

बंगलौर में सीआइटीयू के बारहवें महाधिवेशन की रैली

देशव्यापी संयुक्त संघर्षों को और अधिक सघन एवं तेज करो!

□ तपन सेन

बेंगलूरू में 17–21 जनवरी, 2007 को आयोजित सीआइटीयू के बारहवें महाधिवेशन ने देश के मजदूर वर्ग को सरकार की जन विरोधी आर्थिक नीतियों के खिलाफ देशव्यापी संयुक्त संघर्षो को और अधिक प्रचण्ड करने का आह्वान किया है।

सीटू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंधे द्वारा सीटू का झंडा फहराए जाने के बाद उनके तथा महासचिव चित्तब्रत मजूमदार के नेतृत्व में सीटू पदाधिकारियों, राज्य नेताओं तथा अन्य प्रतिनिधियों ने शहीद वेदी पर पुष्पांजली अर्पित की। महाधिवेशन में कुल 2439 प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिनमें से 297 महिलाएं थीं। ये प्रतिनिधि देश के सभी राज्यों से आए थे और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों संगठित एवं असंगठित दोनों, निजी एवं सार्वजनिक दोनों, मैन्युफैक्चरिंग एवं सेवा क्षेत्र दोनों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमण्डल

बारहवें महाधिवेशन में भाग लेने के लिए पधारने वाले अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमण्डलों की संरचना दुनिया भर के मजदूरों के अन्तर्राष्ट्रीय भाईचारे की दुलर्भ अभिव्यक्ति को प्रतिबिम्बित करती थी। ये प्रतिनिधि इस भूमण्डल के सभी कोनों से आए थे। डब्ल्यूएफटीयू तथा आइसीएफटीयू और अनेक स्वतंत्र श्रमिक संगठनों से 28 देशों से 56 प्रतिनिधियों, जोकि 38 संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने बेंगलूरू पहुंच कर सीआइटीयू के महाधिवेशन में शिरकत की। आइएलओ के निदेशक लेयला टेगमो रेड्डी ओर आइएलओ के बरिष्ठ विशेषज्ञ फांग सुल आहन ने भी महाधिवेशन में भाग लिया।

भ्रातृ संगठनों के प्रतिनिधिमण्डल

अखिल भारतीय किसान सभा के नेता नुरुल हुडा, एसएफआइ के नेता अरुण कुमार, इंटक के उपाध्यक्ष एम अध्यंतइया, एटक के महासचिव गुरूदास दासगुप्त, ऐक्टू के नेता आर शंकर, टीयुसीसी के नेता शिवशंकर, यूटीयूसी–एलएस के नेता के राधा कृष्णा, अखिल भारतीय खेतिहर श्रमिक यूनियन के सचिव सुनीत चोपड़ा, आल इंडिया रिजर्व बैंक इम्पलाईज़ एसोसिएशन के नेता समीर घोष, आल इंडिया रूरल बैंक इम्पलाईज़ एसोसिएशन के नेता दिलीप मुखर्जी, एफएमआरएआई के महासचिव डी पी दुबे, डीवाइएफआई के नेता महेश त्यागी और अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की महासचिव सुधा सुंदरारमन ने भी महाधिवेशन को सम्बोधित किया।

अध्यक्षीय भाषण

स्वागत समिति के अध्यक्ष वीजेके नायर ने उद्घाटन सत्र में प्रतिनिधियों का स्वागत किया। उनके बाद सीआइटीयू के अध्यक्ष एम के पन्धे अध्यक्षीय भाषण दिया। कामरेड पन्धे ने अपने अध्यक्षीय भाषण में विस्तार से अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की चर्चा की। उन्होंने बताया कि किस तरह भारत सहित भूमण्डल के सभी देशों में मजदूर वर्ग तथा मेहनतकश अवाम की दूसरी श्रेणियों द्वारा नव–उदारवादी साम्राज्यवादी भूमण्डलीयकरण की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है और यह आवाज दिन–प्रतिदिन ऊंची होती चली जा रही है। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व व्यापार संगठन की मिली जुली रचना नव–उदारवाद ने उनकी पोल खोल कर रख दी है; लाखों–करोड़ों लोगों को दरिद्रता की दलदल में धकेलने और मुट्ठी भर लोगों के लिए समृद्धि की सौगात लाने वाले इन संगठनों के चेहरे शायद ही पहले कभी इतने अधिक बेनकाब हुए हों जितने आज हो रहे हैं। पन्धे ने जोर देकर कहा कि अमरीकी साम्राज्यवाद की आक्रमक तानाशाही और हथकण्डों ने उसे बुरी तरह बेनकाब कर डाला है; वह मानवता एवं राष्ट्रीय प्रभुसत्ताओं के सबसे भयानक और बर्बर दुश्मन के रूप उभर का सामने आया है। पन्धे ने जोर देकर कहा कि हमें न केवल अपने देश में नव–उदारवादी आर्थिक नीतियों के खिलाफ जन संघर्षो में तेजी लानी होगी बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन नीतियों की झण्डाबरदार साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ भी संघर्श करना होगा। हमें इस दिशा में दो गुना ताकत के साथ पहलकदमियां करनी होंगी।

महासचिव की रिपोर्ट

सीआइटीयू के महासचिव चित्तब्रत मजुमदार ने प्रति–निधि सत्र में अपनी रिपोर्ट पेश की। महासचिव की रिपोर्ट में बताया गया था कि इस महाधिवेशन का आयोजन भारत सरकार की जन विरोधी एवं श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ शानदार देशव्यापी हड़ताल की पृष्ठभूमि में किया जा रहा है; जरूरत इस बात की है कि इस संघर्ष को उस समय तक और तीखा किया जाए जब तक सरकार की जन विरोधी नीतियों में निर्णायक बदलाव नहीं लाया जाता।

महासचिव की रिपोर्ट पर विभिन्न राज्यों के 51 प्रति–निधियों ने भाग लिया। ये प्रतिनिधि देश के सभी राज्यों से

आए थे और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों संगठित एवं असंगठित दोनों, निजी एवं सार्वजनिक दोनों, मैन्युफैक्चरिंग एवं सेवा क्षेत्र दोनों का प्रति– निधित्व कर रहे थे। विभिन्न राज्यों तथा उद्योगों से सम्बन्धित वक्ताओं ने सेवा योजकों–प्रशासन की बर्बर एवं प्रतिशोध की कार्रवाईयों के खिलाफ विभिन्न सेक्टरों में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए चलने वाले भीषण संघर्षो के बारे में अपने अनुभवों की चर्चा करते हुए आने वाले दिनों में श्रम अधिकारों पर हमलों के खिलाफ देशव्यापी संयुक्त प्रतिरोधी संघर्ष को और तेज करने की जरूरत पर जोर दिया। उनका कहना था कि श्रमिकों के सभी बुनियादी श्रम अधिकारों को पावों तले रौंदा जा रहा है और सभी राज्यों में खुद सरकारें इसे शह देती हैं; इसके चलते लोकतंत्र का बुनियादी ढांचा ही खतरे में पड़ गया है। वक्ताओं ने फिर कहा कि सरकार की नव–उदारवादी नीति के खिलाफ लोगों की व्यापक से व्यापक लामबंदी करके श्रमिकों के संघर्ष को बहुआयामी बनाना होगा। इस दिशा में कार्रवाई करके सेवायोजकों देशी तथा विदेशी दोनों के आदेश पर कामकाजी स्थलों में फैलाई जा रही अराजकता का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकेगा। सभी श्रम कानूनों का बेशर्मी से उल्लंघन किया जा रहा है और सरकारों की ओर से उल्लंघन की इन कार्रवाईयों के लिए शह दी जा रही है; यह भी एक मुद्दा है; अनेक वक्ताओं ने बताया कि लगातार देशव्यापी अभियान और संघर्ष चला कर ही इस मुद्दे को भारतीय श्रम सम्मेलन के 41 सत्र की राष्ट्रीय कार्यसूची में शामिल कराया जा सका है। वक्ताओं ने बताया कि सरकार की नव–उदारवादी आर्थिक नीति के परिणामस्वरूप देश के कृषि क्षेत्र का संकट दिन प्रतिदिन गहरा होता चला जा रहा है; किसानों में आत्महत्याओं की घटनाएं बढ़ रही हैं; ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी में जबरदस्त बढ़ोतरी होने के कारण शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारों की संख्या जो पहले ही बहुत बड़ी थी, नए शिखरों को छूने लगी है; औद्योगिक बीमारी और कामबंदी की घटनाओं ने साधारण लोगों की विशाल संख्या के लिए हालात को बद से बदतर बना डाला है। मीडिया द्वारा सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में बढ़ोतरी का जो प्रचार किया जा रहा है, देश की विशाल जन संख्या के लिए उसका कोई अर्थ नहीं है।

कामकाजी महिलाओं पर सत्र

महाधिवेशन में कामकाजी महिलाओं पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया। सीआइटीयू की सचिव के हेमलता ने ''कामकाजी महिलाओं के मोर्चे पर कार्यो का घोषणा पत्र'' महाधिवेशन के सामने पेश किया जो विषाखापत्तनम में 3–5 नवम्बर, 2006 को आयोजित कामकाजी महिलाओं के अखिल भारतीय सम्मेलन में पारित दस्तावेज पर आधारित था। इसमें सीआइटीयू की कुल सदस्य संख्या में महिलाओं की संख्या बढ़ने, विभिन्न स्तरों पर सीआइटीयू के नेतष्त्वकारी पदों पर अधिकाधिक महिलाओं को लाने और उन्हें सक्रिय करने और इसके लिए राज्यों में सीआइटीयू नेतष्त्व द्वारा यूनियन स्तर पर तत्काल रूप से हाथ में लिए गए ठोस सांगठनिक एवं आंदोलनात्मक कार्यो के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया था। विभिन्न राज्यों और उद्योगों से सम्बन्ध रखने वाले 27 प्रतिनिधियों ने इस पर बहस में भाग लिया। वक्ताओं ने इस क्षेत्र में काम के अपने अनुभवों और समस्याओं पर विस्तार में चर्चा की। उन्होंने जोर देकर कहा कि जहां एक ओर कामकाजी महिलाओं की समस्याओं और ठोस मांगों को लेकर तत्काल आंदोलन और अभियान चलाने की जरूरत है वहीं दूसरी ओर केन्द्रीय, राज्य, उद्यम, यूनियन स्तर पर कामकाजी महिलाओं की कार्यशालाओं, ट्रेड यूनियन स्कूलों इत्यादि का आयोजन करके महिला कार्यकर्ताओं का विकास करने के लिए ठोस सांगठनिक कदम उठाए जाने चाहिएं।

कमिशनों में बहस

महाधिवेशन का चौथा दिन कमिशनों में बहस के काम में लाया गया। ये कमिशन देश में श्रमिक आंदोलन के लिए निर्णायक महत्त्व के छह विभिन्न विषयों पर बनाए गए थे। इनके विषय इस प्रकार थे, 1) अन्तर्राष्ट्री ..मिक आंदोलनः हाल ही की कुछ घटनाएं और एकता का सुदृढ़ीकरण, 2) न्यायपालिका और भारत का श्रमिक वर्ग, 3) ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना का दृष्टिकोण पत्र–श्रमिक वर्ग का दृष्टिकोण, 4) ठेकेदारी और आउटसोर्सिंग के खतरे, 5) विशेष आर्थिक अंचल (सेज़), 6) विश्व व्यापार संगठनः वर्तमान मुद्दे और चुनौतियां। सभी कमिशनों में बहस में लगभग 300 प्रति– निधियों ने भाग लिया।

निष्कर्ष

महासचिव की रिपोर्ट पर बहस का समापन करते हुए चित्तब्रत मजुमदार ने बताया कि केन्द्र में सत्तारूढ़ मौजूदा गठ– बंधन सरकार की वाम दलों पर निर्भरता से लोगों पर सत्ताधारी श्रेणी की विचारधारा की पकड़ कमजोर होने का संकेत मिलता है।

सीआइटीयू को संघर्षो में दूसरों को लामबंद करने की पूरी क्षमता हासिल करने के लिए अपने आधार को और अधिक व्यापक बनाना होगा। राष्ट्रीय जन संगठन मंच (एनपीएमओ) को फिर से सक्रिय बनाना होगा और इस काम की शुरूआत हमें अपने ही घर से करनी होगी अर्थात् हमें अपने प्रभाव वाले जन संगठनों को संयुक्त देशव्यापी संघर्ष के लिए लामबंद करना होगा। इसके अनुसार संघर्ष की भावी कार्रवाई के रूप में महाधिवेशन की ओर से अधोलिखित काम करने की घोषणा की गई है:

➤ ट्रेड यूनियनों की आयोजन समिति के दूसरे घटकों के साथ विचार विमर्श करके सोलह सूत्रीय मांगों (14

दिसम्बर, 2006 की देशव्यापी हड़ताल की) के लिए संयुक्त देशव्यापी संघर्ष को आगे बढ़ाना तथा नयी बुलंदी देना।

➢ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए तत्काल सर्व समावेशी कानून बनाने की मांग पर जोरदार अभियान और आंदोलन चलाना जिसकी परिणति संसद के आगामी बजट अधिवेशन में देशव्यापी हड़ताल के रूप में होगी। इसका फैसला असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की अखिल भारतीय समन्वय समिति (सीटू) द्वारा किया जाएगा। सीआइटीयू सचिवमण्डल की ओर से हड़ताल की तिथि को अंतिम रूप दिया जाएगा।

➢ स्थायी और नियमित कामों का गैर कानूनी तौर पर संविदाकरण किए जाने, स्थायी प्रकृति के कामों में लगे संविदा श्रमिकों अथवा ठेका मजदूरों को नियमित किए जाने जो बहुत देर से लम्बित है, उन्हें समुचित वेतन न दिए जाने इत्यादि के खिलाफ कानूनी और प्रशासकीय कार्रवाई करने की मांग के लिए देशव्यापी अभियान एवं आंदोलन चलाना और इसके लिए संविदा श्रमिकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन करना।

➢ सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय श्रमिक संघों की समिति (सीपीएसटीयू) द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार संसद के बजट सत्र में किसी समय सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन करना; उस सम्मेलन में सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों के संघर्ष के कार्यक्रम का निर्धारण किया जाएगा और सम्मेलन के अगले दिन वेतन–वार्ता पर सार्वजनिक उद्यम विभाग के निदेशों के खिलाफ संसद के आगे प्रदर्शन किया जाएगा।

➢ अखिल भारतीय किसान सभा तथा अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के साथ मिल कर मार्च 2007 के पहले सप्ताह में अखिल भारतीय मांग दिवस दिवस मनाया जाएगा। उस दिन 1) मूल्य वर्षद्धि के खिलाफ, 2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने, 3) रोजगार गारंटी अधिनियम के सार्वभौमिकीकरण और उसमें शहरी क्षेत्रों के बेरोजगारों को भी शामिल किए जाने, 4) असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों और खेतिहर श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा तथा सेवा स्थितियों पर व्यापक कानून बनाने, 5) आइसीडीएस के सार्वभौमिकीकरण ओर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को नियमित किए जाने, 6) विशेष आर्थिक अंचलों अथवा एसईज़ैड से जुड़े मुद्दों एवं मांगों को लेकर देश के सभी जिलों और औद्योगिक केन्द्रों में श्रमिकों की लामबंदी की जाएगी।

इसके साथ ही महाधिवेशन ने अपनी दूसरी गति–विधियों के साथ–साथ नियमित अंतराल पर अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों को जारी रखने का फैसला किया है। यह वर्ष हमारे संस्थापक महासचिव कामरेड पी राममूर्ति का शताब्दी वर्ष है, सीआइटीयू से सम्बन्धित सभी इकाईयों और एसोसिएशनों को ट्रेड यूनियन स्कूलों और विचारधारा एवं आंदोलन के मुद्दों पर संगोष्ठियों तथा विचार गोष्ठियों का आयोजन करके सघन शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से यह शताब्दी वर्ष मनाने के साथ ही हमें पी राममूर्ति स्मारक ट्रेड यूनियन स्कूल और शोध केन्द्र की स्थापना के लक्ष्य को जल्द से जल्द पा लेने के लिए भी जोरदार प्रयास करने होंगे। मैं इस अवसर पर पी राममूर्ति स्मारक कोष के लिए अपना कोटा पूरा न किए जाने की राज्य समितियों की कोताही की ओर उनका ध्यान खींचना चाहूंगा।

महासचिव की रिपोर्ट, कामकाजी महिलाओं के मोर्चे पर हमारे काम और लेखा वक्तव्य सर्वसम्मति से पारित कर दिए गए।

नए नेतृत्व का चुनाव

महाधिवेशन में 35 सदस्यीय सैक्रेटेरिएट, 460 सदस्यीय जनरल कौंसिल तथा 125 सदस्यीय कार्य समिति का चुनाव सर्वसम्मति से किया गया।

सीआइटीयू के पूर्व महासचिव और हमारे आंदोलन के प्रख्यात नेता कामरेड समर मुखर्जी ने स्वागत समिति की ओर से प्रकाशित विशेष सोविनियर विमोचन किया। सीआइटीयू के पूर्व उपाध्यक्ष कामरेड आर उमानाथ ने इसकी पहली प्रति प्राप्त की। कामरेड समर मुखर्जी ने अपने संक्षेप भाषण में प्रतिनिधियों को स्मरण कराया कि सीआइटीयू ने अपने संविधान में समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित किया है। उन्होंने सभी साथियों को आह्वान किया कि वे मौजूदा शोषणकारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए अथक संघर्ष करें।

समापन भाषण

सीआइटीयू के अध्यक्ष कामरेड एम के पन्धे महाधिवेशन का समापन किया। उन्होंने महाधिवेशन के फैसलों को पूरा करने के लिए सभी प्रतिनिधियों को जी जान से मेहनत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय भाईचारे के साथ हमारे साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए यहां आए हैं; उनसे हमें साम्राज्यवादी भूमण्डलीयकरण के लिए प्रतिरोधी संघर्ष का भूमण्डलीयकरण करने की प्रेरणा मिलती है। कामरेड पन्धे ने अपने भाषण के अंत में कर्नाटक के साथियों का हार्दिक धन्यवाद किया जिन्हें अथक परिश्रम करके इस महाधिवेशन को श्रमिक आंदोलन के इतिहास में मील का पत्थर बनाया है।

जन सभा

इस महाधिवेशन का समापन एक विशाल जन सभा के साथ हुआ। जन सभा की अध्यक्षता कामरेड वी जे के नायर ने की जबकि कामरेड एम के पन्धे तथा चित्तब्रत मजुमदार इत्यादि नेताओं ने उसे सम्बोधित किया। □

संसद से सड़क तक देश भर में हर ओर रही हड़ताल की गूंज

ट्रेड यूनियनों की आयोजन समिति के आह्वान पर 14 दिसंबर को आयोजित हड़ताल को देशभर में जबर्दस्त सफलता मिली। सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ हुई इस हड़ताल में छः करोड़ से ज्यादा मजदूरों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।

बंगाल, केरल तथा त्रिपुरा में 14 दिसंबर को मुकम्मल बंद रहा जबकि असम व झारखंड में लगभग बंद की स्थिति रही। कर्नाटक में और दूसरे कई राज्यों में कई जिलों में भी बंद की सी स्थिति देखने को मिली। संसद में भी हड़ताल का असर दिखाई दिया। वामपंथी पार्टियों तथा उनके जनतांत्रिक सहयोगी दलों के करीब सौ सांसदों ने संसद के बाहर धरना दिया, शून्य काल में हड़ताली मजदूरों की मांगें उठायीं, उपस्थिति के रजिस्टर पर दस्तखत नहीं किए और शेष दिन भर की कार्रवाई का बहिष्कार किया।

14 दिसंबर की यह देशव्यापी हड़ताल, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष-विश्व बैंक-विश्व व्यापार संगठन तिकड़ी के इशारों पर हमारे देश पर थोपी गयी उदारीकरण, विश्वीकरण तथा निजीकरण की नीतियों के लागू होने के बाद से देश के मजदूर वर्ग की 11वीं आम हड़ताल थी। हड़ताल का आह्वान ट्रेड यूनियनों की आयोजन समिति ने किया था, जिसमें सी आइ टी यू, एटक, यू टी यू सी, यू टी यू सी—लेनिन सरणी, एच एम एस, ए आइ सी सी टी यू आदि केंद्रीय ट्रेड यूनियनें और विभिन्न उद्योगवार मजदूर फैडरेशनें शामिल हैं।

बंगाल, केरल, त्रिपुरा, झारखण्ड, असम में बंद : पूरे देश में सफल हड़ताल : अनेक स्थानों पर यातायात ठप्पः बैंक, बीमा, डाक घर, बंदरगाह, कोयला खदानों, हवाई अड्डे, राज्य एवं केंद्रीय सरकारी दफ्तरों पर व्यापक असर आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम, दिल्ली में अनेक स्थानों पर पुलिस ने मजदूरों पर लाठियां चलाईं : झारखण्ड में गोली चली : अनेक घायल : हजारों लोग गिरफ्तार

25 जुलाई 2006 को दिल्ली में संपन्न मजदूरों की राष्ट्रीय कन्वेंशन द्वारा स्वीकार किए गए सोलह सूत्री मांगपत्र के आधार पर हड़ताल का आह्वान किया गया था। इस देशव्यापी कार्रवाई के जरिए उठायी गयी मुख्य मांगों में श्रम कानूनों के राज्य प्रायोजित उल्लंघन पर रोक लगाने, जनविरोधी आर्थिक नीतियों को पलटने और असंगठित क्षेत्र व खेत मजदूरों के लिए सर्वसमावेशी कानून बनाने की मांगें शामिल थीं।

हड़ताल के सिलसिले में 14 दिसंबर की शाम एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सी आइ टी यू अध्यक्ष, एम के पंधे ने कहा कि हड़ताल के आह्वान को, आयोजन समिति की उम्मीद से भी बढ़कर समर्थन मिला है। आज केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ मजदूर वर्ग की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में हड़ताल मुकम्मल रही है। तीन लाख से ज्यादा प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के मजदूरों ने भी इस बार हड़ताल में हिस्सा लिया है।

सी आइ टी यू अध्यक्ष ने रेखांकित किया कि आयकर, लेखा परीक्षा तथा डाक सेवा जैसे मजदूरों के नये-नये हिस्से भी इस बार की हड़ताल में शामिल हुए हैं। राज्य सरकार कर्मचारियों ने भी विशाल संख्या में इस हड़ताल में हिस्सेदारी की। इस बार की हड़ताल में शिक्षक भी बड़ी संख्या में शामिल हुए।

कोयला

एस ई सी एल, बी सी सी एल, डब्ल्यू सी एल तथा एन सी एल में पूर्ण हड़ताल रही। नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड में 60 फीसद हड़ताल रही। अनेक कोयला पट्टियों में इंटक तथा बी एम एस ने हड़ताल का विरोध किया। इसके बावजूद हड़ताल सफल रही। महानदी कोलफील्ड्स में 50 फीसद हड़ताल रही।

प्रतिरक्षा

प्रतिरक्षा क्षेत्र के 3 लाख से ज्यादा सिविलियन कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया। देश में सेना, नौसेना और वायुसेना के तहत आनेवाली 39 आर्डिनेंस फैक्टरियों, डी आर डी ओ की 35 प्रयोगशालाओं, मिल्ट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज और दूसरे संस्थानों के ये मजदूर हड़ताल में शामिल रहे।

गोदी तथा बंदरगाह उद्योग

तमाम गोदियों में पूर्ण हड़ताल रही और इस हड़ताल के चलते ये गोदियां बंद रहीं।

तेल क्षेत्र

रिफाइनरियों समेत हड़ताल मुकम्मल रहीं।

बैंक और बीमा

कर्मचारियों के साथ ही अधिकारियों की जबर्दस्त हिस्सेदारी के चलते वित्तीय क्षेत्र पूरी तरह पंगु हो गया।

डाक विभाग

कुल 5.5 लाख डाक कर्मचारियों में से 70 फीसद कर्मचारी हड़ताल पर रहे। तमिलनाडु, केरल, प० बंगाल, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में 100 फीसद हड़ताल हुई। झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में लगभग पूर्ण हड़ताल रही।

राज्य सरकारी कर्मचारी

राज्य सरकारी कर्मचारियों के अखिल भारतीय महासंघ (ए आइ एस जी ई एफ) के महासचिव सुकोमल सेन द्वारा जारी किए गए एक प्रेस वक्तव्य के अनुसार एक करोड़ से भी अधिक राज्य सरकारी

कर्मचारियों ने देशव्यापी हड़ताल में भाग लिया। कश्मीर, हरियाणा, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, झारखण्ड, असम, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा में राज्य सरकारी कर्मचारियों की ओर से हड़ताल के आह्वान को जोरदार प्रत्युत्तर दिया गया। सभी स्थानों पर कर्मचारियों ने भारी उत्साह के साथ हड़ताल में भाग लिया।

आंध्र प्रदेश में 500 से अधिक कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर्मचारियों में जनार्दन रेड्डी, डी सुधाकर तथा गोपाल रेड्डी इत्यादि नेता भी शामिल हैं। असम में 6 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया जबकि सिलचर में एक महिला कर्मचारी को पुलिस की ओर से बुरी तरह पीटा गया। इस घटना के विरोध में कर्मचारियों ने उपायुक्त कार्यालय के आगे धरना देकर दोषी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। धरनाकारियों में 400 महिला कर्मचारी भी शामिल थीं। हरियाणा में राज्य सरकार की ओर से निषेधाज्ञा जारी करके सरकारी कार्यालयों के 100 मीटर के दायरे में प्रदर्शन करने व धरने देने पर प्रतिबंध लगा दिया। कर्नाटक सरकार ने एक आदेश जारी करके हड़ताल में भाग लेने पर कर्मचारियों को जुर्माना करने, पेंशन रोक देने और जेल में भेजने की धमकी दी गई। इस पर भी इन सभी स्थानों पर हड़ताल को पूरी सफलता मिली।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी

केंद्र सरकार के लगभग 20 लाख कर्मचारी हड़ताल पर रहे। तमिलनाडु में केंद्र सरकार के कर्मचारी, आयकर कार्यालयों और अकाउंटेंट जनरल के कार्यालय के कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से हड़ताल में भाग लिया। कर्नाटक में 80 प्रतिशत कर्मचारी अपने कार्य से अनुपस्थित हुए। ऑडिट और अकाउंट्स में 70 प्रतिशत हड़ताल रही। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में 60 प्रतिशत हड़ताल हुई। भूगर्भ जल बोर्ड में 80 प्रतिशत और प्रिंटिंग व स्टेशनरी में 60 से 70 प्रतिशत रही।

बी एस एन एल इम्पलाईज यूनियन के महासचिव वी ए एन नम्बूदिरि की ओर से जारी किए गए बयान के अनुसार पश्चिम बंगाल, असम, उत्तरी पूर्वी राज्यों, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब इत्यादि राज्यों में बी एस एन एल के कार्यालय कर्मचारियों की हड़ताल के कारण खुल नहीं सके। इसी तरह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और भारत के दूसरे सर्किलों में कर्मचारियों की बहुसंख्या ने हड़ताल में भाग लिया। हड़ताली कर्मचारियों ने अनेक स्थानों पर संयुक्त प्रदर्शनों, रैलियों एवं धरनों का आयोजन किया। □

ट्रेड यूनियनों की आयोजन समिति का बयान : देशव्यापी हड़ताल की जबर्दस्त कामयाबी

देशव्यापी आम हड़ताल की जबर्दस्त सफलता पर देश के मजदूर वर्ग तथा मेहनतकशों को बधाई देते हुए, ट्रेड यूनियनों की आयोजन समिति ने 14 दिसंबर को निम्नलिखित बयान जारी किया :

ट्रेड यूनियनों की आयोजन समिति के आह्वान पर देश के मजदूर वर्ग ने 14 दिसंबर की देशव्यापी आम हड़ताल को अपना जबर्दस्त समर्थन देकर सफल बनाया है। हड़ताल का आह्वान 16 सूत्री मांग पत्र को लेकर किया गया था, जो इस जुलाई में दिल्ली में हुई मजदूरों की कन्वेंशन में एक राय से स्वीकार किया गया था। ट्रेड यूनियनों की आयोजन समिति में केंद्रीय ट्रेड यूनियनें और उद्योगवार गठित अखिल भारतीय फैडरेशनें शामिल हैं। देश भर में आज मेहनतकश जनता ने जो सीधी कार्रवाई की है, 1991 से लगाकर एक के बाद केंद्र में आयी विभिन्न सरकारों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष-विश्व बैंक-विश्व व्यापार संगठन तिकड़ी के फरमानों पर चलायी जा रही जनविरोधी, मजदूरविरोधी, आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के खिलाफ, ग्यारहवीं आम हड़ताल है।

दोपहर 2 बजे तक हासिल हुई रिपोर्टों के अनुसार संगठित तथा असंगठित, निजी तथा सार्वजनिक, उद्योगों व सेवा प्रतिष्ठानों के और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों से संबद्ध 6 करोड़ से ज्यादा मजदूरों व कर्मचारियों ने इस हड़ताल में हिस्सा लिया है।

ट्रेड यूनियनों की आयोजन समिति हड़ताल के आह्वान के प्रचंड समर्थन के लिए देश के मजदूर वर्ग तथा मेहनतकश जनता को बधाई देती है। आयोजन समिति ने किसानों, खेत मजदूरों, महिलाओं, छात्रों, युवाओं आदि के बिरादराना जनसंगठनों की सहायक कार्रवाइयों की सराहना की। इन संगठनों ने प्रदर्शनों, रास्ता रोको, रेल रोको आदि आयोजित कर, हड़ताली कार्रवाई का समर्थन किया और इस तरह आम हड़ताल को देशभर में जनप्रतिरोध की कार्रवाई का रूप दे दिया। आयोजन समिति ने संसद के दोनों सदनों के, वामपंथी तथा जनतांत्रिक पार्टियों के सदस्यों के प्रति भी कृतज्ञता जतायी, जिन्होंने हड़ताली मजदूरों के साथ एकजुटता प्रकट की।

हम यूपीए सरकार से आग्रह करते हैं कि देश की मेहनतकश जनता की इस सफल हड़ताल के संदेश को सही तरीके से पचाए और आर्थिक उदारीकरण की सत्यानाशी नीतियों पर हठधर्मिता से चलना बंद करे क्योंकि ये नीतियां जनता के जीवन को तबाह कर रही हैं।

ये इसके इशारे हैं कि मजदूर वर्ग के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि अपनी सतर्कता बढ़ाए और आने वाले दौर में अनवरत कार्रवाइयों के लिए तैयारी करे। ट्रेड यूनियनों की आयोजन समिति मजदूर वर्ग का आह्वान करती है कि आने वाले दिनों में और संघर्षों की तैयारी करे ताकि सरकार को अपनी जनविरोधी तथा मजदूरविरोधी नीतियां बदलने पर मजबूर किया जा सके। बी एम एस तथा इंटक से संबद्ध अनेक यूनियनों ने तथा बड़ी संख्या में उनके अनुयाइयों ने इस हड़ताली कार्रवाई में हिस्सा लिया। बंगलौर में सार्वजनिक क्षेत्र की तथा निजी क्षेत्र की भी अनेक इकाइयों में इंटक व बी एम एस, दोनों ने इस हड़ताल में हिस्सा लिया। भारत इलैक्ट्रोनिक्स गाजियाबाद में भी बी एम एस तथा इंटक, दोनों की ही यूनियनें हड़ताल में शामिल हुईं। इसी प्रकार, देश भर में कोयला खदानों में इंटक तथा बी एम एस की यूनियनों से संबद्ध ज्यादातर मजदूरों ने हड़ताल में हिस्सा लिया। इस तरह उदारीकरण, निजीकरण तथा विश्वीकरण और श्रमिकों के अधिकारों पर हमलों की नीतियों के खिलाफ इस ग्यारहवीं देशव्यापी हड़ताल में, आम जनता के स्तर पर कहीं व्यापक एकता देखने को मिली है। □

हरियाणा राज्य सम्मेलन

हरियाणा राज्य आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के तीसरे सम्मेलन में आंगनवाड़ी कर्मचारियों का, संगठन को मजबूत करने और आईसीडीएस एवं उनकी सेवाएं नियमित करने के लिए लगातार संघर्ष करने का आहवान किया। यह सम्मेलन 25 से 26 नवम्बर, 2006 को बल्लभगढ़ में हुआ तथा इस सम्मलन में आंगनवाड़ी केंद्रों को पंचायतों को सौंपने के राज्य सरकार के अभी हाल ही में जारी किए गए आदेश का विरोध करने का आहवान किया गया।

अधिवेशन का आरम्भ यूनियन की वरिष्ठ नेता और आयोजक कमेटी की संयोजिका **रत्नेश** द्वारा जोर शोर से नारे लगाकर झंडा फहराने से हुआ। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मेवात और फरीदाबाद के प्रतिनिधियों के अलावा लगभग पांच सौ आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। अधिवेशन का उद्घाटन आइफा की महासचिव **के हेमलता** ने किया। उन्होंने आंगनवाड़ी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए संघर्ष करने का आहवान किया और कुछ नेताओं के अवरोधक कार्यवाही करने के बावजूद यूनियन का ढांचा पुनः खड़ा करने के लिए यूनियन को बधाई भी दी। सर्व कर्मचारी संघ, हरियाणा के महासचिव **आर सी जग्गा** ने कहा कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रही है। उन्होनें भीड़ को भरोसा दिलाया कि निजीकरण के विरूद्ध संघर्ष और संगठन को मजबूत करने के प्रयत्नों में सर्व कर्मचारी संघ सदैव उनके साथ है। सीआईटीयू हरियाणा राज्य कमेटी के महासचिव **सतवीर सिंह** ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों का सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध करने और 14 दिसम्बर की अखिल भारतीय आम हड़ताल को सफल बनाने के लिए आहवान किया। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राज्य कमेटी की सह सचिव **सविता** ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों को एडवा, महिलाओं के मुद्दों पर आंगनवाड़ी युनियन के साथ कार्य करने और अन्य सामाजिक मुद्दों के महत्व पर रोशनी डाली।

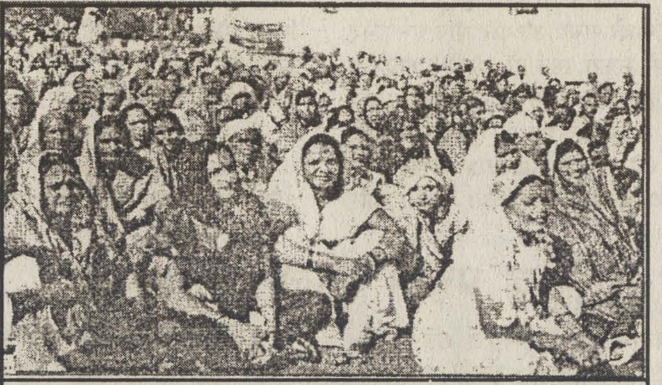

हरियाणा राज्य आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हैल्पर्स यूनियन के तीसरे सम्मेलन के अवसर पर 25 नवंबर 2006 को बल्लभगढ़ में आयोजित जन सभा का एक दृश्य

सार्वजनिक बैठक की अध्यक्षता जिला आंगनवाड़ी यूनियन की अध्यक्षा **देवेंद्री शर्मा** द्वारा और संचालन सचिव **कमलेश** द्वारा हुआ। स्वागत कमेटी के अध्यक्ष **सुभाष लांबा** और आइफा की कोषाध्यक्ष **ए आर सिंधु** ने भीड़ को संबोधित किया। बैठक में आंगनवाड़ी केंद्रों को पंचायतों के सौंपने के राज्य सरकार द्वारा अभी हाल में जारी किए गए सरकारी आदेश का विरोध करने के प्रस्ताव को पास किया गया, जोकि **रत्नेश** द्वारा पेश किया गया था।

दोपहर में सम्मेलन का आरम्भ **संतोष रावल, दया सैनी, देवेंद्री शर्मा** सहित एक अध्यक्ष मंडल के चुनाव से हुआ। **संतोष रावल** ने शहीदों को श्रद्धांजली अर्पित की और कंडोलेंस प्रस्ताव पेश किया। **रत्नेश कुमारी** ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्थिति और किस प्रकार से ये नीतियां आईसीडीएस को प्रभावित कर रही है।

यूनियन के सिद्धांत के अनुसार अधिवेशन 2005 में होना था। यूनियन ने नवम्बर 2005 में एक आयोजक कमेटी का गठन किया। इसके बाद, सीआईटीयू, सर्व कर्मचारी संघ और आइफा के दिशानिर्देशों के चलते यूनियन की कार्यप्रणाली सही तरीके से चलने लगी और यूनियन ने सभी तरह के अभियानों में भाग लिया और निकाले गए नेताओं के अवरोध के चलते एक विशाल राज्य स्तरीय रैली करने और इसी एक वर्ष में पूरे राज्य में विभिन्न अभियानों को सफल करने में कामयाब रहे।

विरोधी तत्वों ने इस सम्मेलन और रैली में अवरोध पैदा करने के लिए जिले में अभियान भी चलाया। परन्तु आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने रैली और सम्मेलन में बड़ी संख्या में भाग लेकर उन्हें करारा जवाब दिया। यूनियन ने वर्ष 2006 में चौदह जिलों से चार हज़ार से अधिक सदस्यता की सूचना दी।

सीआईटीयू राज्य सचिव मंडल के सदस्य और आंगनवाड़ी यूनियन के इनचार्ज **विरेंद्र मलिक** ने यूनियन को पुनः खड़ा करने के लिए सीटू द्वारा किए गए प्रयत्नों का वर्णन किया। उन्होंने अपने वक्तव्य में जनवादी कार्यप्रणाली और आर्थिक मामलों में पारदर्शिता पर अधिक जोर दिया। उन्होनें विरोधी तत्वों को चेताया कि वे किस प्रकार शासक वर्ग का साथ दे रहे हैं। **ए आर सिंधु** ने आइफा द्वारा किए गए अभियानों और गतिविधियों का वर्णन किया। उन्होनें यूनियन और इसके कार्यकर्ताओं को आयोजक कमेटी के गठन के बाद एक वर्ष में सही तरीके से यूनियन चलाने और शुरूआत से सदस्यता करके जिला तथा परियोजना स्तर पर सम्मेलन करके राज्य सम्मेलन करने पर बधाई दी।

32 प्रतिनिधियों ने रिपोर्ट पर बहस में भाग लिया और रिपोर्ट

(शेष पेज 13 पर)

कश्मीर में आंगनवाड़ी कर्मचारियों का पहला अधिवेशन

पूरी कश्मीर घाटी से लगभग एक हजार आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने श्री नगर के शेर–ए–कश्मीर बाग में, ठंड और भारी वर्षा का सामना करते हुए एक विशाल रैली निकाली, जिसका आरम्भ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका एसोसिएशन, जम्मू और कश्मीर के दो दिवसीय क्षेत्रिय अधिवेशन से हुआ।

अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका फैडरेशन की महासचिव **हेमलता** ने रैली को संबोधित किया। रैली की अध्यक्षता एसोसिएशन की अध्यक्षा **हसीना सोफी** ने की। **हेमलता** ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों के प्रति केंद्रीय सरकार के कड़े रूख की भर्त्सना की। उन्होंने सरकार की आर्थिक नीतियों के बुरे प्रभाव तथा आंगनवाड़ी कर्मचारियों के अधिकारों पर आइफा की भूमिका का वर्णन किया। उन्होंने आंगनवाड़ी सेविकाओं को ग्रेड 3 व सहायिकाओं को ग्रेड 4 के कर्मचारी घोषित करने, उनका मानदेय बढ़ाने तथा आईसीडीएस को स्थाई विभाग बनाने की मांग की। उन्होने फैडरेशन की ओर से सोलिडेरिटी भी जताई।

सीआईटीयू जम्मू और कश्मीर के राज्य अध्यक्ष और एमएलए **एम वाई तारिगामी** ने समाज में मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी कर्मचारियों की भूमिका का वर्णन किया और उनके मुद्दों को केंद्र और राज्य सभा में उठाने का आश्वासन दिया।

कामकाजी महिला संस्था की अध्यक्षा **आशा कालरा** ने कामकाजी महिलाओं की समस्याओं को रेखांकित किया और महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण और लिंग उत्पीड़न के विरूद्ध प्रभावशाली कानून की मांग की। उन्होंने अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फैडरेशन की ओर से सोलिडेरिटी जताई।

जम्मू और कश्मीर की ट्रेड यूनियनों की समन्वय समिति के अध्यक्ष **मो0 मक़बूल** ने संघर्षरत आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को बधाई दी। उन्होने जम्मू और कश्मीर की ट्रेड यूनियनों की समन्वय समिति की ओर से पूरा समर्थन देने का भरोसा दिलाया। यूनियन की संयोजिका **हसीना सोफी** और आयोजक सचिव **मैमुना नाज़की** ने भी रैली को संबोधित किया।

अधिवेशन में कश्मीर घाटी की 25 परियोजनाओं और सभी 10 जिलों से 65 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अधिवेशन का संचालन **हसीना सोफी, मैमुना रशीद, फैज़–उल–निशा** और **मो0 मक़बूल** सहित एक प्रतिनिधिमंडल ने किया। स्वागत समिति के अध्यक्ष **बहु–दीन–ज़ाहिद** ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया। शोक प्रस्ताव पेश करने के बाद **मैमुना नाज़की** ने सचिव की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट और मांगों के घोषणापत्र को एकमत होकर स्वीकारने के बाद 11 प्रतिनिधियों ने बहस में भाग लिया। अधिवेशन में संस्था के संविधान को भी स्वीकारा गया।

अधिवेशन में एकमत होकर 25 सदस्यों की कार्यकारिणी कमेटी और 11 पदाधिकारियों के साथ **हसीना सोफी** को अध्यक्ष और **मैमुना नाज़की** को महासचिव स्वीकारा गया।

रूद्र प्रयाग जिला अधिवेशन

गंगा नदी के किनारे रूद्र प्रयाग जैसे खूबसूरत शहर में 14 अक्तूबर को एक निराला ही जुलूस निकाला गया। अपनी सेवाओं का पंजीकरण किए जाने, अफसरों के उत्पीड़न को रोकने और पूरक पोषण की अच्छी गुणवत्ता और मानदेय का समय पर भुगतान करने की मांग करते हुए हजारों आंगनवाड़ी कर्मचारी हाथों में लाल झंडा उठाए छोटे से शहर में घूमे। वे आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका यूनियन, उत्तराखंड (सीटू) के पहले जिला अधिवेशन में आयोजित की गई रैली में भाग ले रहे थे। रैली के बाद, अधिवेशन का उद्घाटन सत्र सांय पांच बजे आरम्भ हुआ। उखीमठ, अगस्तमुनी और जखोली–तीनों जिलों से एक सौ पंद्रह प्रतिनिधियों ने अधिवेशन में भाग लिया।

जिले में यूनियन का गठन जिला सीटू और किसान सभा के प्रयत्नों से हुआ। सीटू जिला सचिव के साथ किसान सभा के जिला नेतष्त्व ने गांव–गांव जाकर आंगनवाड़ी कर्मचारियों की बैठकें कीं। वे उनकी समस्याओं को लेकर उनसे व्यक्तिगत तौर पर भी मिले, उन्हें यूनियन में शामिल होने के लिए उकसाया तथा वर्णन किया कि किस प्रकार सीटू अन्य यूनियनों से भिन्न है।

उनमें से कुछ पहले अन्य यूनियन के सदस्य रह चुके थे और इस यूनियन में शामिल होने के लिए हिचकिचा रहे थे, कि वे दूसरी यूनियन से धोखा कर रहे है, परन्तु सीटू की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर वे भी यूनियन में शामिल होने के लिए आगे आए। पहले जिला अधिवेशन के लिए उन्होंने सभी जिलों से चार सौ से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सदस्य बनाया। तीनों जिलों में परियोजना अधिवेशन हुए और कमेटियां बनाई गईं। तीन कमेटियों में से दो परियोजनाओं की अध्यक्षा सहायिकाएं हैं।

तीनों परियोजना कमेटियों की अध्यक्षाओं सहित एक प्रतिनिधि–मंडल ने जिला अधिवेशन का संचालन किया। किसान सभा राज्य अध्यक्ष **गंगाधर नौटियाल**, सीटू नेता **महेंद्र जखमोला**, जनवादी महिला समिति की जिला सचिव **उमा नौटियाल** ने अधिवेशन को संबोधित किया। आइफा कोषाध्यक्ष **ए आर सिंधु** ने आइफा द्वारा पहले से ही दिल्ली में प्राप्त किए हुए अधिकारों के बारे में बताया। उन्होंने जनवादी कार्यप्रणाली के आधारभूत नियमों तथा सह संघर्षों में उनके महत्व का भी वर्णन किया। किसान सभा जिला सचिव ने बताया कि किस प्रकार एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जोकि एक नवीगठित यूनियन की सक्रिय कार्यकर्ता होती है, वह उसके गांव में बैठक आयोजित करने में 200 से अधिक किसानों को एकत्र करने में सहायता करती है।

20 से भी अधिक कार्यकर्ताओं ने बहस में भाग लिया। उन्होने मानदेय के अनियमित भुगतान, पोषण की खराब गुणवत्ता और अफसरों द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न की शिकायत की। काफी लंबे समय से जिला परियोजना अफसर का पद रिक्त पड़ा है। अधिवेशन में 23 सदस्यों की एक कमेटी का चुनाव किया गया, जिसमें **शशि नेगी** को अध्यक्ष, **ममता** को सचिव, **गुड्डी देवी** को कोषाध्यक्ष और **आर के नौटियाल** को सलाहकार के रूप में चुना गया।

अधिवेशन में कामकाजी महिलाओं के हिन्दी प्रकाशन ***पत्रिका*** की 200 प्रतियां लेने का निर्णय लिया गया। अधिवेशन में 14 दिसम्बर की आम हड़ताल को सफल बनाने का भी निर्णय लिया। अधिवेशन सफल था और इसमें सिद्ध हुआ कि किस प्रकार एक दूसरे को मजबूत बनाने के लिए जन संगठन एक साथ कार्य कर सकते है।

संघर्ष की राह पर पंजाब आंगनवाड़ी यूनियन

आंगनवाड़ी मुलाज़िम यूनियन, पंजाब ने राज्य सरकार पर आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मुख्य मांगों को स्वीकार करने का दबाव बनाने के लिए संघर्ष करने का निर्णय लिया। राज्य विधानसभा के चुनावों को देखते हुए अमरिंदर सिंह की सरकार ने राज्य सरकारी कर्मचारियों को 755 करोड़ रूपए का पैकेज देने की घोषणा की। परन्तु संघर्षरत आंगनवाड़ी कर्मचारियों को इसमें पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया। इससे पूरे राज्य में आंगनवाड़ी कर्मचारियों के बीच रोष की लहर फैल गई और उन्होंने तुरन्त 26 अक्टूबर को चंडीगढ़ के मटका चौक पर बहुत बड़ा धरना दिया, जिसमें 2000 से अधिक आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने भाग लिया। इस विशाल धरने के दबाव से मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने 27 अक्टूबर को यूनियन के नेतागणों के साथ उनके घर पर एक विशेष बैठक की और उत्तरांचल की तरह मानदेय बढ़ाने और महाराष्ट्र की तरह सर्कल बैठकों में भाग लेने व पेंशन लाभ जैसी मुख्य मांगों को स्वीकारा।

आंगनवाड़ी कर्मचारियों के संघर्ष को देखते हुए महिला एवं बाल विकास के राज्य सामाजिक सुरक्षा मंत्री श्री महिन्दर सिंह के पी ने यूनियन के साथ 7 नवम्बर को एक चंडीगढ़ के दफ्तर में एक बैठक की और पहले मुख्य मंत्री के साथ हुई बैठक में आंगनवाड़ी बैठक आंगनवाड़ी मांगों के पालन को भरोसा दिलाया।

सी एम कैप्टन अमरिन्दर सिंह और सामाजिक सुरक्षा मंत्री श्री महेन्दर सिंह के पी के साथ यूनियन नेतष्त्व की बैठकों में साफ भरोसा देने की बजाय, राज्य सरकार अपने वादों से मुकर रही है। सरकार के इस रवैये को देखते हुए यूनियन ने सुरक्षा मंत्री श्री महेन्दर सिंह के पी, डी वाई सी एम श्रीमति राजेंद्र कौर भटटल और राज्य वित्त मंत्री श्री संरेंद्र सिंगला के क्षेत्रों में तीन, दस और सत्रह दिसम्बर को विशाल प्रदर्शनों द्वारा सरकार पर दबाव बनाने का निर्णय किया।

कार्यक्रम के अनुसार सामाजिक सुरक्षा मंत्री श्री महेन्दर सिंह के पी के क्षेत्र में जलंधर में तीन दिसम्बर, डेप्युटी सी एम श्रीमति राजेंद्र कौर भटटल के क्षेत्र लहरा गागा में दस दिसम्बर को विशाल प्रदर्शन हुए। प्रत्येक रैली और प्रदर्शन में 2500 से अधिक सेविकाओं और सहायिकाओं ने भाग लिया। लहरा गागा में प्रदर्शन कर रही सेविकाओं और सहायिकाओं पर पुलिस ने लाठियां बरसाईं, जिसमें एक दर्जन से अधिक कार्यर्ताओं को गम्भीर चोटें पहुंची है। दोनों ही स्थानों पर संबंधित मंत्रियों को उनके प्रतिनिधियों द्वारा मांगपत्र दिया गया।

14 दिसम्बर की हड़ताल

अखिल भारतय आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका फैडरेशन के आह्वान पर 14 दिसम्बर की हड़ताल को सफल बनाने हेतु पंजाब के 17 जिलों में हड़ताल की गई जिसमें लगभग पंद्रह हजार से अधिक आंगनवाड़ी मुलाजिमों ने भाग लिया। ब्लॉक व जिला स्तरों पर अनेक सभाओं एवं रैलियों का आयोजन करने के बाद जालन्धर और संगरूर में बड़ी रैलियां की गई। □

उड़ीसा में आंगनवाड़ी सम्मेलन

उड़ीसा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका एसोसिएशन का तीसरा सम्मेलन 29 अक्टूबर 2006 को बालासोर में हुआ, जिसका प्रतिनिधित्व सीटू राज्य अध्यक्ष **लम्बोदर नायक**, कार्यकारी अध्यक्ष **विष्णु मोहन्ती, संगीता राय, ज्योत्रीमयी दास, बेरनादित बेसरा, सुलोचना बरला** तथा **राजलक्ष्मी दास** सहित एक प्रतिनिधिमंडल ने किया। सम्मेलन में अखिल भारतीय आंगनवाड़ी फैडरेशन के अध्यक्ष **भबतोष रॉय** तथा **मोलिना घोष** मुख्य अतिथि थे।

एक हजार से अधिक कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने एक रंगीन जुलूस में भाग लिया। वे पूरे शहर में आईसीडीएस को सर्वव्यापी और नियमित करने, निजीकरण रोकने और सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ ज़ोर–ज़ोर से नारे लगाते हुए शहर में जुलूस निकाल रहे थे। **भबतोष रॉय** और **मोलिना घोष** आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की समस्याओं के बारे में बोले और महिलाओं से आग्रह किया कि वे सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध में संघर्ष करने के लिए उकसाया।

महासचिव **कुमुदिनी बेहेरा** ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। **सुषमा बेहेरा, मामी दकुआ, बहालने मुंडा, रश्मि नायक** और **विजयालक्ष्मी मुदुली** इत्यादी ने रिपोर्ट पर बहस में भाग लिया। **राधारमन सारंगी** और **सुरजीता नायक** ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए।

सम्मेलन में 23 सूत्री मांगों का एक मांगपत्र सर्वसम्मति से स्वीकारा गया।

27 सदस्यों सहित एक राज्य कमेटी का गठन किया गया जिसमें **लम्बोदर नायक** को अध्यक्ष और **कुमुदिनी बेहेरा** को महासचिव चुना गया। अधिवेशन में निम्न निर्णय लिए गए–

1. 14 नवम्बर को राज्य स्तरीय धरना
2. जिला कमेटियों का गठन
3. राज्य स्तरीय कक्षाएं आयोजित करना
4. सदस्यता बढ़ाना

छत्तीसगढ़ में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का धरना

अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका फैडरेशन (आइफा) के आहवान पर राजनंदगांव, डोंगरगांव, डोंगरगढ़, खेरगढ़, चौकी जैसी विभिन्न परियोजनाओं से हजारों आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव जिले में 26 सितम्बर 2006 को धरना दिया और एक जुलूस निकाला। जुलूस का आरम्भ जिला कचहरी के धरनास्थल से हुआ। जुलूस में आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने बहुत जोर शोर से अपनी मांगों के नारे लगाए और पूरे शहर में मार्च करके उसी स्थल पर आकर धरना दिया। जुलूस का नेतृत्व सीटू जिला आयोजक कमेटी के संयोजक **गजेंद्र झा** तथा **बिल्कीस बेगम, अरूणा वैष्णव, तुलसी यादव** आदि आंगनवाड़ी कर्मचारियों के नेताओं तथा अन्यों ने किया।

आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने आईसीडीएस को स्थायी बनाने, आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं की सेवाओं को नियमित करने और सेवकाओं को ग्रेड 3 और सहायिकाओं को ग्रेड 4 के कर्मचारी के रूप में नियमित करने, प्रोविडेंट फंड, ई एस आई, ग्रेच्युटी, पेंशन इत्यादी जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध कराने, आंगनवाड़ी कर्मचारियों का मानभत्ता उपभोक्ता कीमत सूचकांक से जोड़ने और सेवानिवषत्ति लाभ सेविकाओं के लिए एक लाख और सहायिकाओं के लिए पचास हजार रू देने की मांग की। एक प्रतिनिधिमंडल ने सब डिवीज़नल मैजिस्ट्रेट से मुलाकात की और प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया।

ऐडवोकेट और सीटू नेता **भारती** ने रैली को संबोधित किया और आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मांगों को पूरा समर्थन दिया। उन्होने एनसीएमपी में आईसीडीएस को सर्वव्यापी बनाने की प्रतिबद्धता को पूरा न करने और उनकी मांगों को न सुनने के लिए सरकार की आलोचना की।

विभिन्न परियोजनाओं में हुए धरनों, जुलूसों और बैठकों का हवाला देते हुए **गजेंद्र झा** ने आईसीडीएस को नियमित करने हेतु पूरा ध्यान न देने के लिए सरकार की आलोचना की।

धरने का संबोधन जिला अध्यक्ष **बिल्कीस बेगम** और अन्य नेताओं ने भी किया जिनमें **रामानैया, अरूणा वैश्णव, धनेश्वरी जोशी** शामिल हैं, ओर यह घोषित किया गया कि यदि सरकार हमारी सकारात्मक मांगों को नही मानेगी तो संघर्ष चलता ही रहेगा।

आइफा के निर्णयानुसार आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं की राज्य कमेटी ने 14 दिसम्बर 2006 को अखिल भारतीय आम हड़ताल में शामिल होने का निर्णय लिया। दुर्ग, रायपुर और राजनंदगांव में जिला स्तर की बैठकें की गईं। जिला कलैक्टरो को हड़ताल के नोटिस के साथ 15 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया।

इन चार जिलों में सभी परियोजनाओ में परियोजना स्तर की जनरल बॉडी बैठकें हुई। यूनियन ने हड़ताल के दिन रैली, धरना और प्रदर्शन आदी करने और हड़ताल को सफल बनाने के लिए राज्य स्तर पर आयोजित किए सम्मेलनों में भाग लेने का निर्णय लेकर 14 दिसम्बर की आम हड़ताल में पूरे जोर शोर से भाग लेकर हड़ताल को सफल बनाया।

कामकाजी महिलाओं का आठवां अखिल भारतीय सम्मेलन

□ के हेमलता

कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति के आठवें सम्मेलन का आयोजन 3–5 नवम्बर, 2006 को डी शारदा नगर (उकूनगरम), विशाखापत्तनम में किया गया। सम्मेलन में कुल 418 प्रतिनिधियों ने भाग लिया जो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरांचल, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल इत्यादि राज्यों से आए थे। ये प्रतिनिधि बगीचा, बीड़ी, निर्माण, गृह आधारित उद्योग धंधों, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, हथकर्घा, विद्युत, जल प्राधिकरण, परिवहन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी अस्पतालों, घरेलू नौकरों, आंगनवाड़ी केन्द्रों इत्यादि में काम करने वाली कामकाजी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते थे। सीआइटीयू से सम्बद्ध यूनियनों में सक्रिय कामकाजी महिलाओं ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया जो इसका एक उल्लेखनीय पहलू था। पिछले मौकों के विपरीत इस बार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिला कर्मचारियों की सम्मेलन में भागीदारी अधिक रही। उनके अलावा बीमा, बैंकों, राज्य एवं केन्द्रीय सरकारी विभागों में काम करने वाली मध्यम श्रेणी की अधिकांश महिला कर्मचारियों ने इस सम्मेलन में शिरकत की; ये महिला कर्मचारी स्थानीय, जिला तथा राज्य स्तरों पर सीआइटीयू में कुछ न कुछ जिम्मेदारी का निर्वहन करती हैं और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को संगठित करने के काम में अपना योगदान देती हैं।

त्रिपुरा से सीआइटीयू जनरल कौंसिल की सदस्या तथा अखिल भारतीय समन्वय समिति की सदस्या इंदुबाला दास ने जोरदार नारों के बीच सीआइटीयू का लाल ध्वज फहराया। सीआइटीयू के अध्यक्ष एम के पन्धे, उपाध्यक्ष आरतीदास गुप्त, सचिव कनाई बनर्जी तथा कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति की संयोजक के हेमलता ने शहीद बेदी पर पुष्पांजलि अर्पित करते समय प्रतिनिधियों का नेतृत्व किया। इस अवसर पर 'प्रजानाट्य मण्डली' की ओर से क्रांतिकारी गीतों का गायन किया गया।

सर्वसाथी धनलक्ष्मी (आंध्र प्रदेश), सरोज (हिमाचल प्रदेश), लीलावती (कर्नाटक), रंजना निरुला (सीआइटीयू केन्द्र), एम के कमलम्मा (केरल), राजी (तमिलनाडु), पंचाली भट्टाचार्य (त्रिपुरा) तथा निरुपमा चटर्जी (पश्चिम बंगाल) पर आधारित आठ सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल ने सम्मेलन की कार्रवाई का संचालन किया। स्वागत समिति की महासचिव एस पुण्यवती ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया। सम्मेलन का उद्घाटन सीआइटीयू के अध्यक्ष कामरेड एम के पन्धे द्वारा किया गया।

कामरेड पन्धे ने अपने उद्घाटन भाषण में कामकाजी महिलाओं की विशेष समस्याओं का समाधान करने और उन्हें श्रमिक आंदोलन की मुख्य धारा में लाने के लिए सीआइटीयू द्वारा अपनी स्थापना के समय से ही किए गए अथवा किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने सभी शोषित एवं दमित जनता की सभी श्रेणियों की एकता को मजबूत बना कर साम्राज्यवादी भूमण्डलीयकरण और श्रमिक वर्ग पर होने वाले हमलों के खिलाफ संघर्ष को तेज करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कामकाजी महिलाओं को आह्वान किया कि वे इस एकता को मजबूत बनाने के लिए सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ कर काम करें। कामरेड शिवानी सेनगुप्त तथा सीआइटीयू कार्य समिति की दूसरी महिला सदस्यों ने सम्मेलन की संचालन समिति के तौर काम किया। सम्मेलन ने प्रस्ताव समिति तथा क्रेडेंशियल समिति का चुनाव किया जिसकी संयोजक सिंधु तथा शुभा को बनाया गया।

अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की उपाध्यक्ष अनवरा ने प्रतिनिधियों का अभिनन्दन किया। उन्होंने कामकाजी महिलाओं की समस्याओं की ओर विशेष ध्यान देने के लिए सीआइटीयू को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कामकाजी महिलाओं की समस्याओं को उठाने और उनका समाधान कराने के लिए सीआइटीयू तथा जनवादी महिला समिति के बीच और अधिक तालमेल स्थापित किया जाना चाहिए। कामरेड हेमलता ने संयोजक की रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में नव उदार नीतियों के प्रचारकों के उन दावों को पोल खोली गई जो यह कहते नहीं थकते कि भूमण्डलीयकरण के दौर में कामकाजी महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं। रिपोर्ट में असमान वेतनों, प्रसूति लाभ, शिशु पलना गृहों जैसी कानूनी सुविधाओं को लागू न किए जाने, कामकाजी स्थलों में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं, परिवहन की उचित सुविधा उपलब्ध

कराए बिना रात्रि पाली में महिलाओं से काम लिए जाने पर लगी रोक को हटाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों इत्यादि कामकाजी महिलाओं की समस्याओं पर विस्तार में चर्चा की गई थी। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए सर्व समावेशी कानून बनाने, कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कानून बनाने और 'महिला आरक्षण विधेयक' लाने के मामले में सरकार द्वारा अपनाई गई मामलों को टालने की नीति की कड़ी आलोचना की गई। रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्तर पर तथा अनेक राज्यों सीआइटीयू में महिलाओं की बढ़ती सदस्य संख्या का उल्लेख किया गया। यह बताया गया कि अखिल भारतीय स्तर पर उपलब्ध ताजा वार्षिक विवरणियों के अनुसार सीआइटीयू में महिलाओं की सदस्य संख्या में 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है। किन्तु महिलाओं की बढ़ती सदस्य संख्या सीआइटीयू के निर्णायक निकायों विशेष तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की उपस्थिति के रूप में प्रतिबिम्बित नहीं होती। रिपोर्ट में कामकाजी महिलाओं की मांगों को शामिल किया गया और सीआइटीयू को कामकाजी महिलाओं के बीच काम में और सुधार लाने के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए।

सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी राज्यों से 41 प्रतिनिधियों ने संयोजक की रिपोर्ट पर बहस में भाग लिया। उन्होंने जहां रिपोर्ट का समर्थन किया वहीं विभिन्न उद्योगों में काम करने से सम्बन्धित अपने अनुभावों की चर्चा की और रिपोर्ट को मजबूत बनाने के लिए कुछ सुझाव भी दिए। यह बेहद महत्त्वपूर्ण था कि घरेलू काम धंधों और बगीचों में काम करने वाली महिलाओं ने पूरे आत्म विश्वास के साथ अपनी बात कही और उस पर जोर भी दिया। उन्होंने केवल अपने अनुभवों की चर्चा ही नहीं की अपितु भूमण्डलीयकरण के खतरों और संगठन की मौजूदा स्थिति इत्यादि पर भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने सीआइटीयू में महिलाओं की सदस्य संख्या बढ़ाने के लिए कुछ सुझाव भी दिए। लगभग सभी वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि कामकाजी महिलाओं में काम करने के लिए पूर्णकालिक महिला कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया जाए। उन्होंने कामकाजी महिलाओं की समन्वय समितियों के दर्जे, ढांचे और उनकी भूमिका के बारे में कुछ बिंदु उठाए।

आरती दासगुप्त ने 'असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली कामकाजी महिलाएं' विषय पर विशेष बहस के लिए अपना आलेख प्रस्तुत किया। उन्होंने उन विभिन्न समस्याओं के बारे में बताया जिनसे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को दो–चार होना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि असंगठित क्षेत्र में 96 प्रतिशत से अधिक महिलाएं काम करती हैं इसलिए इन महिलाओं को संगठित किए जाने की जरूरत है। समन्वय समितियों को यह काम करना चाहिए; यह एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण काम है।

आलेख पर बहस के लिए प्रतिनिधियों के राज्यवार समूह बनाए गए। सभी राज्यों की प्रतिनिधियों ने इस बहस में भाग लिया। उन्होंने इस बहस में अपने–अपने राज्यों के अनुभवों की जानकारी दी। सभी वक्ताओं ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को संगठित करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए विशेष आलेख प्रस्तुत किए जाने का स्वागत किया। उन्होंने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि समन्वय समितियों को इस महत्त्वपूर्ण काम की ओर ध्यान देना चाहिए। अनेक वक्ताओं ने महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए जैसे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को संगठित करने के लिए असंगठित क्षेत्र में कानूनी तौर पर लागू कल्याणकारी लाभों के बारे में कामकाजी महिलाओं को जागरूकता लाई जाए; महिलाओं की सामाजिक तथा आवासीय समस्याओं के समाधान के लिए काम किया जाए इत्यादि।

कामरेड हेमलता ने बहस का समापन करते हुए प्रतिनिधियों को उनके द्वारा दिए गए बहुमूल्य सुझावों के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि इस समय राज्यों में कामकाजी महिलाओं की समन्वय समितियों की स्थिति क्या है। उन्होनें जोर देकर कहा कि कामकाजी महिलाओं समन्वय समितियां अलग संगठन नहीं हैं अपितु ये सीआइटीयू का एक भाग ही हैं। उन्हें सीआइटीयू की सम्बद्ध समितियों के मार्ग दर्शन में काम करना चाहिए। सीआइटीयू द्वारा समन्वय समितियों की बैठकों में लिए गए निर्णयों एवं दिए गए सुझावों की पुष्टि करना जरूरी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कामकाजी महिलाओं की समन्वय समितियों उन क्षेत्रों का पता लगाना चाहिए जहां कामकाजी महिलाएं बड़ी संख्या में काम करती हैं; उन महिलाओं की समस्याओं तथा मांगों की जानकारी प्राप्त करना चाहिए और इसकी जानकारी सीआइटीयू समितियों को देना चाहिए। इन महिलाओं को संगठित करने के उद्देश्य से ठोस कदम उठाने के बारे में सीआइटीयू समितियों द्वारा निर्णय लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कामकाजी महिलाओं की राज्य स्तरीय समन्वय समितियां कामकाजी महिलाओं की गतिविधियों का पता लगाएं और ट्रेड यूनियन नेताओं के रूप में उनका विकास करने की योजना बनाएं। कुछ स्पष्टीकरणों के साथ रिपोर्ट

सर्वसम्मति से पारित कर दी गई।

सम्मेलन में अनेक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव भी पारित किए गए और सरकार से मांग की गई कि संसद के इसी शीत कालीन सत्र में खेतिहर श्रमिकों के लिए सर्वसमावेशी विधेयक लाने के साथ ही अलग से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए भी विधेयक लाया जाए। यह मांग भी की गई कि महिला आरक्षण विधेयक को उसके मौजूदा स्वरूप में संसद के अगले सत्र में लाया जाए। दूसरे प्रस्तावों में सम्मेलन ने श्रमिकों पर बढ़ते हमलों की निंदा करने के साथ–साथ श्रम कानूनों को प्रभावशाली ढंग से लागू करने और रोजगार गारंटी अधिनियम को पूरे देश में लागू करने की मांग भी की गई। सम्मेलन ने एक और प्रस्ताव पारित करे अदालतों में बढ़ रहे श्रमिक विरोधी रुझानों पर चिंता व्यक्त की गई जो शीर्ष न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए कुछ श्रमिक विरोधी निर्णयों से प्रतिबिम्बित होते हैं। जब 14 दिसम्बर की देशव्यापी हड़ताल के लिए प्रस्ताव पेश किया गया, तो प्रतिनिधियों ने गगनभेदी नारे लगा कर उसका समर्थन किया। देश के कृषि संकट और दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही खाद्यान्न स्थिति पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए गए। सीआइटीयू के सचिव कामरेड कनाई बनर्जी पिछले कई वर्षो से कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति के साथ जुड़े रहे हैं; उन्होंने सम्मेलन को सम्बोधित करते समय कहा कि संयोजक की रिपोर्ट पर बहस से यह तथ्य प्रतिबिम्बित होता है कि कामकाजी महिलाएं सीआइटीयू में अधिकाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने बताया कि सीआइटीयू ने 27 वर्ष पहले कामकाजी महिलाओं को उनकी कुछ विशेष मांगों पर संगठित करने की कोशिशें शुरू की थीं और वर्षो तक यह काम करके उसे बहुमूल्य अनुभव हुए हैं।

कामरेड कनाई बनर्जी ने कहा कि कामकाजी महिलाओं की समन्वय समितियों का मौजूदा स्वरूप इन्हीं अनुभवों के बल पर उभर कर सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए इन अनुभवों के आधार पर अपने कामों की समीक्षा करना जरूरी है। पंधे ने समापन भाषण दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि सीआइटीयू सैक्रेटेरिएट कामकाजी महिलाओं के बीच अपने कार्यो, अपनी भूमिका और कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति तथा राज्य स्तरीय समन्वय समितियों के कार्यो पर विस्तार में चर्चा करेगा। इन समितियों को किस तरह और अधिक मजबूत बनाया जाए, इस प्रश्न पर भी विचार किया जाएगा।

एक प्रभावशाली जुलूस एवं रैली निकाली गई जिसमें मील वर्कर्स, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं के कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कर्मचारियों तथा दूसरे अनेक क्षेत्रों में काम करने वाली कामकाजी महिलाओं ने हजारों की संख्या में भाग लिया। यह रैली 5 नवम्बर को निकाली गई। कामकाजी महिलाओं की राज्य समन्वय समिति की संयोजक पी रोजा ने रैली की अध्यक्षता की। सीआइटीयू के अध्यक्ष एम के पन्धे, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की उपाध्यक्ष तथा संसद सदस्य वृंदा कारात, कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति की संयोजक हेमलता, सीआइटीयू की आंध्र प्रदेश राज्य समिति की उपाध्यक्ष पुण्यवती इत्यादि नेताओं ने रैली को सम्बोधित किया। कामरेड वृंदा कारात ने यूपीए सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उसने सत्ता में आने के बाद जन साधारण की समस्याओं तथा तकलीफों की अनदेखी की है। उन्होंने मांग की कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बना कर गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए।

सम्मेलन की ओर से नयी 45 सदस्यीय अखिल भारतीय समन्वय समिति का गठन किया गया। कामरेड के हेमलता एक बार फिर से इसकी संयोजक चुन ली गई। □

(पेज 7 का शेष)

हरियाणा राज्य सम्मेलन

और लेखा जोखा को पास किया। सभी जिलों से आए प्रतिनिधियों ने संगठन को मजबूत करने के महत्व पर अधिक जोर दिया। उन सभी ने सरोज वशिष्ठ को श्रद्धांजली के रूप में उनकी याद में ***सरोज विशाखा संस्थान*** को बनाने के सपने को सच करने का वादा भी किया। अधिवेशन में अगले अधिवेशन से पूर्व सदस्यता को दस हजार तक पहुंचाने का आहवान किया गया। अधिवेशन में सभी स्तरों पर कार्यकर्ताओं के लिए ट्रेड यूनियन कक्षाएं आयोजित करने और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने का फैसला लिया गया। आंगनवाड़ी केंद्रों को पंचायत को सौंपने के सरकारी आदेश के विरोध में 5 दिसम्बर को विरोध दिवस मनाने का आहवान किया गया।

सम्मेलन में 14 जिलों से 147 प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिसमें सर्व कर्मचारी संघ और सीआईटीयू के 20 कार्यकर्ता और दिल्ली से **रूपा सिंह** और केंद्र से **अंजु मैनी** शामिल थीं। करीब 25 प्रतिशत प्रतिनिधि सेविकाएं थीं। प्रतिनिधियों में बहुत बड़ी संख्या अनुसूचित और पिछड़ी जातियों की थी। 12 प्रतिनिधि विधवा थीं। दो प्रतिनिधि ब्लॉक समितियों की प्रतिनिधि थीं।

सम्मेलन में 27 सदस्यों की एक कमेटी, जिसमें **रत्नेश** को अध्यक्ष, **देवेन्द्री** को कार्यकारी अध्यक्ष, **संतोष रावल** को महासचिव और **वीरो रानी** को कोषाध्यक्ष चुना गया। संतोष रावल ने धन्यवाद अदा किए। अधिवेशन का समापन *"हम होगें कामयाब"* गीत से हुआ। □

मुरादाबाद में आंगनवाड़ी कर्मचारी

आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन, उत्तर प्रदेश जिला कमेटी ने सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध में पहली बार 14 दिसम्बर की देशव्यापी हड़ताल में भाग लिया। आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन, उत्तर प्रदेश के झंडे तले आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने अपने केंद्रों को बंद कर दिया और अन्य कर्मचारियों, अध्यापकों, और मजदूरों के साथ कार्य रोक दिया। आयोजक कमेटी की मांगसूची के साथ उन्होनें अपनी मांगों को भी उठाया जैसे आईसीडीएस को सर्वव्यापी बनाना, आंगनवाड़ी सेविकाओं को ग्रेड 3और सहायिकाओं को ग्रेड 4 के कर्मचारी के रूप में नियमित करना, प्रोविडेंट फंड और पेंशन जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध कराना। उन्होनें नियमितिकरण के लम्बित रहते हुए उनके मानदेय में बढ़ोत्तरी कर 3000रू और 2000रू प्रतिमाह देने की भी मांग की। मातृत्व लाभ, योग्य कार्यर्ताओं को सुपरवाईज़र और सहायिकाओं को कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त करने ओर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में सुधार और बच्चों के लिए भूमि व्यवस्था को ठीक करने की भी मांग की।

इससे पूर्व 29 नवम्बर 2006 को आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन, उत्तर प्रदेश के झंडे तले कम्पनी बाग में सैंट्रल ट्रेड यूनियनों से सोलिडेरिटी जताने और जिला कार्यक्रम अफसर को देने के लिए हड़ताल की सूचना तैयार करने के लिए एक बैठक हुई। लगभग 50 आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। जिला कमेटी की अध्यक्षा **चमन आरा**, सचिव **मिथलेष कुमारी** के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने डीपीओ में हड़ताल की सूचना जमा की। आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन, उत्तर प्रदेश की संयोजिका **वीना गुप्ता** तथा अन्यों ने बैठक को संबोधित किया।

हरियाणा में श्रम कानूनों का उल्लंघन के मामले में केन्द्र सरकार दखल दे

सी आइ टी यू के सचिव और संसद सदस्य कामरेड तपन सेन ने 1-12-2006 को राज्य सभा में हरियाणा में श्रम कानूनों के उल्लंघन का मामला उठाते हुए कहा कि करनाल, घरौंडा तथा कुटेल में लिबर्टी फुटवियर्स ने अपने तीन कारखानों में काम बंद करके उनमें काम करने वाले 3500 श्रमिकों को रोजगार तथा आजीविका से वंचित कर दिया है। उनका कहना था कि निकाले गए अधिकतर मजदूर दलित हैं और उनमें 500 से ज्यादा महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि यह सारी समस्या तब शुरू हुई जब मालिकों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 12 (3) के अन्तर्गत हुए समझौते को लागू करने से इंकार कर दिया। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कानून को लागू करने वाला सरकारी तंत्र जो खुद इस त्रिपक्षीय समझौते में एक पक्ष रहा है। समझौते के इस उल्लंघन में मालिकों के साथ खड़ा है। उन्होंने बताया कि मालिकों ने इस प्रक्रिया में 127 मजदूरों को बर्खास्त कर दिया है और कारखानों में अनिश्चितकाल के लिए काम बंद कर दिया है। इसके विरोध में मजदूरों ने पहले गत 23 अक्टूबर से क्रमिक भूखहड़ताल शुरू की और बाद में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनका कहना था कि इन मजदूरों की हालत चिंताजनक है और कईयों को अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा है। तपन सेन ने कहा कि यह बहुत ही गम्भीर स्थिति है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि वह इस मामले में तत्काल दखल दे और संघर्षरत मजदूरों की रक्षा करे।

समझौते पर हस्ताक्षर

इसी बीच सी पी आइ (एम) सांसदों की ओर से संसद में यह मामला उठाए जाने के बाद लिबर्टी फुटवियर के प्रबंधन को मजबूर होकर श्रमिकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये हस्ताक्षर 22-12-2006 को किए गए। प्रबंधन सभी स्थायी श्रमिकों और उन अस्थायी श्रमिकों जिनके नाम 31 दिसम्बर, 2006 से पहले हाजरी रजिस्टर में दर्ज थे, को काम पर वापस लेने के लिए तैयार हो गया है। जिन श्रमिकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं अथवा जिन्हें निलम्बित कर दिया गया था, के मामले श्रम न्यायालय में भेजे जाएंगे। प्रबंधन उस समझौते को लागू करने के लिए सहमत हो गया है जो उसने पहले यूनियन के साथ किया था। यह समझौता लिबर्टी फुटवियर के तीनों कारखानों के मजदूरों द्वारा सी आइ टी यू के मार्ग दर्शन में एकजुट होकर दृढ़ इरादे के साथ संघर्ष किए जाने के फलस्वरूप सम्भव हो सका है। प्रबंधन तथा पुलिस की ओर से की गई दमनात्मक कार्रवाईयां भी मजदूरों को संघर्ष करने से रोक नहीं सकीं।

गुजरात के दंगा पीड़ितों का पुनर्वास

सांसदों के प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट

विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के संसद सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुजरात के 2002 के दंगों से पीड़ित लोगों के पुनर्वास स्थलों का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के मधुसूदन मिस्त्री और रशीद अल्वी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सी के चन्द्रप्पन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के वासुदेव आचार्य और मोहम्मद सलीम, फॉरवर्ड ब्लॉक के सुब्रत बोस, लोक जनशक्ति पार्टी के सूरजभान सिंह और आर जे डी के आलोक मेहता शामिल थे। दंगा पीड़ित लोगों के पुनर्वास की वास्तविक स्थिति के संबंध में लगातार शिकायतें आ रही थीं। प्रतिनिधिमंडल ने 30 नवंबर 2006 को गुजरात का दौरा किया। सांसद 30 नवंबर को अहमदाबाद पहुंचे और सीधे जुहापुरा के निकट सिद्दिकाबाद पुनर्वास स्थल पर गये। वहां से प्रतिनिधिमंडल स्वेज फार्म और वटवा के निकट सिटीजन नगर गया। वटवा में सिटीजन नगर का दौरा करने के बाद प्रतिनिधिमंडल दो हिस्सों में बंट गया।

मधुसूदन मिस्त्री, मोहम्मद सलीम, रामजीलाल सुमन, सी के चन्द्रप्पन, सुब्रत बोस और आलोक मेहता का एक ग्रुप बना। दूसरे ग्रुप में वासुदेव आचार्य, सूरजभान सिंह और राशीद अल्वी थे।

पुनर्वास स्थलों का दौरा कर प्रतिनिधिमंडल ने निम्नलिखित राय दी

(क) यह शोचनीय स्थिति है कि प्रधानमंत्री राहतकोष से केंद्र सरकार द्वारा 150 करोड़ रुपये दिये जाने के बावजूद राज्य सरकार ने 19 करोड़ 10 लाख रुपये यह कह कर लौटा दिये कि खर्च नहीं हुए, पर संपर्क सड़क, पीने के पानी, गंदे पानी की निकासी, बिजली और यहां तक कि किसी स्कूल की कोई व्यवस्था नहीं की। इससे राज्य सरकार की भेदभाव की नीति का पता चलता है।

(ख) लगभग सभी बस्तियों की स्थिति यह है कि सरकार ने उनके लिए जमीन नहीं दी है। गैर सरकारी संस्थाओं ने उनके लिए जमीन खरीदी और मकान बनाये हैं।

(ग) गैर सरकारी संस्थाओं के पास सीमित ही फंड होता है अत: अधिकांश घर बड़े छोटे हैं, यानी 10-15 या 13-20 फिट साईज के कमरे और साथ में एक छोटा सा बरामदा और एक छोटी सी रसोई। इतना छोटा घर किसी बड़े परिवार के लिए पूरी तरह अपर्याप्त है। तो भी वहां देखा जा सकता है कि बड़े परिवार उनमें रह रहे हैं। इतनी थोड़ी सी जगह में लगभग 10-12 लोगों का रहना अत्यंत भीड़भाड़ की बात है।

(ख) दंगों के 4-5 साल गुजर जाने के बाद में हमें कहीं ऐसी कोई चीज नजर नहीं आयी कि सरकार ने पुनर्वास का काम किया हो। ये बस्तियां अल्पसंख्यक समुदाय के स्वयं की या खुदा की मेहरबानी पर छोड़ दी गयी हैं।

(च) बड़ी संख्या में लोगों ने दंगों में मरने वाले लोगों और नष्ट हुई संपत्ति के लिए पर्याप्त मुआवजा न मिलने की शिकायत की। लोगों को कितना नुकसान पहुंचा, इसका कोई सर्वे तक नहीं किया गया है। राज्य सरकार ऐसा करना ही नहीं चाहती, क्योंकि राज्य सरकार नहीं चाहती कि दंगा-पीड़ित लोगों को कोई राहत देने वाली सरकार के रूप में उसकी पहचान बने, क्योंकि उससे चुनावों पर असर पड़ सकता है।

(छ) लोगों के पास राशनकार्ड नहीं है जिसके परिणामस्वरूप सरकारी मदद लेने में उन्हें हर किस्म की अड़चनें आती हैं।

(ज) हमारी सुविचारित राय है कि गुजरात सरकार ने पुनर्वास के लिए कुछ भी नहीं किया है और पीड़ितों के पुनर्वास में उसकी कोई रूचि नहीं है।

(झ) हमारी राय है कि सरकार अल्पसंख्यकों के और उनके पुनर्वास करने के संबंध में अपने संवैधानिक कर्तव्यों और दायित्वों को पूरा करने में पूरी तरह विफल रही है। यह सरकार की तरफ से सोची समझी कार्रवाई के अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि दंगापीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं और सरकार दंगा पीड़ितों का पक्ष लेने वाली सरकार के रूप में अपनी पहचान नहीं बनाना चाहती है।

सिफारिशें

1. हम सिफारिश करते हैं कि दंगा पीड़ितों को उसी तरह और अधिक वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए, जिस तरह का पैकेज 1984 के दिल्ली दंगों के पीड़ितों एवं अन्य के लिए घोषित किया गया।

2. परिवारों को मुआवजे के अलावा इस तरह के किसी भी घोषित पैकेज में इमारत और बुनियादी ढांचे के प्रयोजन के लिए दिये गए पैसे को 'हुड़को' जैसी किसी केंद्रीय एजेंसी को दिया जाना चाहिए, जो बुनियादी ढांचा खड़ा कर सके।

3. इस प्रयोजन के लिए गुजरात सरकार को किसी भी हालत में पैसा नहीं दिया जाना चाहिए।

4. इन परिवारों को आर्थिक रूप से पुनर्वास करने के लिए और उनके लिए किसी संभावित रोजगार के लिए किसी केंद्रीय एजेंसी या आयोग से जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से एक विशेष सर्वे कराया जाना चाहिए।

5. हम महसूस करते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों, जो इस देश के नागरिक हैं, के साथ भेदभाव किये जाने के पर्याप्त सबूत हैं। यह भेदभावपूर्ण रवैया और दंगा पीड़ित लोगों के प्रति इस तरह की कार्रवाई का कारण केवल यही है कि वे किसी धर्म विशेष से संबंध रखते हैं। मोदी सरकार ''अपवर्जन के राज शासन'' की जिस नीति पर चल रही है, यह उसका एक उदाहरण है।

6. केंद्र सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि दंगा पीड़ितों को न्याय मिले। दंगे के अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और गायब लोगों समेत तमाम मामलों की सी बी आइ जांच होनी चाहिए।

7. केन्द्र सरकार को हमारा सुझाव है कि गुजरात सरकार को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। क्योंकि यह सरकार अपने नागरिकों की जान को बचाने और उनका पर्याप्त पुनर्वास करने के अपने संवैधानिक कर्तव्यों और दायित्वों का पालन करने में विफल रही है।

8. जिस जमीन पर विश्व हिन्दू परिषद के नेताओं ने अपना कब्जा कर लिया है, उस जमीन को उसके मालिकों को लौटाया जाना चाहिए।

सरकार द्वारा आंगनवाड़ी महिलाओं की मांगों पर समिति का गठन

(नीचे हम कामरेड चित्तब्रत मजुमदार और तपन सेन द्वारा राज्य सभा में उठाए गए तारांकित प्रश्न संख्या 262 और उस पर भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास राज मंत्री श्रीमती रेणुका चौधरी की ओर से 11–12–2006 को दिए गए उत्तर का प्रकाशन कर रहे हैं।)

प्रश्न

(क) क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं की मांगों को देखने और उन पर विचार करने के लिए प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए निदेश के अनुसार आपके मंत्रालय की ओर से एक समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो समिति की संरचना और उसके विचारार्थ विषय क्या हैं और

(ग) इसकी समय सीमा क्या है जिसके भीतर समिति को अपनी रिपोर्ट देनी होगी?

उत्तर

(क) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मिलने वाले मानदेय के मौजूदा स्तरों और सम्बन्धित मुद्दों की जांच करने के लिए एक सरकार द्वारा एक समीक्षा समिति का गठन किया गया है।

(ख) इस समिति का ढांचा और इसके विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगेः–

ढांचा

(i) संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (बाल विकास एवं पोषण) अध्यक्ष, (ii) संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सदस्य, (iii) संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग सदस्य, (iv) संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग सदस्य, (v) संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय सदस्य, (vi) संयुक्त सचिव, जन जातीय मामलों सम्बन्धी मंत्रालय सदस्य, (vii) संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक मामलों सम्बन्धी मंत्रालय सदस्य, (viii) सलाहकार, योजना आयोग सदस्य, (ix) सचिव, महिला एवं बाल विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार सदस्य, (x) सचिव, (महिला एवं बाल विभाग), बिहार सरकार सदस्य, (xi) सचिव, (महिला एवं बाल विकास), अरुणांचल सरकार सदस्य, (xii) सचिव, (महिला एवं बाल विकास), सिक्किम सरकार सदस्य, (xiii) सचिव, (महिला एवं बाल विकास), मध्य प्रदेश सरकार सदस्य, (xiv) सचिव, (महिला एवं बाल विकास), उड़ीसा सरकार सदस्य, (xv) सचिव, (महिला एवं बाल विकास), महाराष्ट्र सरकार सदस्य, (xvi) सचिव, (महिला एवं बाल विकास), तमिलनाडु सरकार सदस्य, (xvii) निदेशक, (वित्त), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सदस्य, (xviii) निदेशक, (बाल विकास), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सदस्य।

विचारार्थ विषय

क) समेकित बाल विकास सेवा (आइसीडीएस) योजना के अन्तर्गत काम करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के काम की जिम्मेदारी और काम के परिमाण की समीक्षा करना।

ख) भारत सरकार के विभागों एवं मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों के उन कार्यक्रमों एवं योजनाओं की पहचान करना जिन्हें लागू करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को जोड़ा गया है अथवा सम्बद्ध किया गया है।

ग) यह समीक्षा करना कि क्या केन्द्रीय एवं राज्य सरकारी अथवा स्थानीय निकायों की आइसीडीएस योजनाओं के अलावा दूसरे कार्यक्रमों एवं योजनाओं के लिए उन्हें दी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन करने अथवा ड्यूटी देने पर अतिरिक्त मानदेय का भुगतान करना उचित है।

घ) आइसीडीएस कार्यक्रम के अन्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की लगाई गई ड्यूटी एवं जिम्मेदारियों के लिए दिए जा रहे मानदेय की राशि के मौजूदा स्तरों की समीक्षा करना।

ङ) आइसीडीएस योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले मानदेय की दर में संशोधन करना।

च) यह विचार करना कि क्या भारत सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों की दूसरी योजनाओं के अन्तर्गत दी गई जिम्मेदारियों एवं कार्यों के लिए अतिरिक्त मानदेय का भुगतान किया जाना चाहिए।

छ) इन कार्यकर्ताओं को पूरी सक्षमता से अपने कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए और अधिक प्रेरित करने के लिए समिति कोई और सुझाव भी देना चाहेगी।

ज) समिति की ओर से 31–12–2006 तक अपनी रिपोर्ट दे दिए जाने की सम्भावना है।

के. हेमलता द्वारा आल इंडिया फेडरेशन आफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर्स के लिए, ए–13, राऊस एवेन्यू नई दिल्ली–2 से संपादित एवं प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए–21, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया, जीटी रोड, शाहदरा दिल्ली–95 से मुद्रित।